<u>न्यायालयः— प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड (म०प्र०)</u> (समक्ष- सतीश कुमार गुप्ता)

<u>आप0 पुन0 याचिका क्र.-47 / 17</u> <u>प्रस्तृति दिनांक-01/06/2017</u>

श्रीमती मंजू पुत्री मलेसीराम पत्नी मनोज आयु 32 वर्ष जाति प्रजापति निवासी ग्राम चिरपुरा रोड़ गली नंबर 3 वार्ड नंबर 10 अम्बाह, हाल निवासी ग्राम बाराहेड थाना एण्डोरी परगना गोहद जिला भिण्ड

-<u>निगरानीकर्ता</u>

/ / विरूद्ध / /

- WINDS OF 1.मनोज पुत्र रामनिवास आयु 35 वर्ष जाति प्रजापति निवासी ग्राम चिरपुरा रोड़ गली नंबर 3 वार्ड नंबर 10 अम्बाह जिला मुरैना, हाल पदस्थ भारतीय सेना यूनिट अम्बाला
 - 2.रामनिवास पुत्र दर्शनलाल आयु 60 वर्ष
 - 3.मुन्नीबाई पत्नी रामनिवास आयु 55 वर्ष
 - 4.पुष्पेंद्र पुत्र रामनिवास आयु 25 वर्ष
 - 5.पंकज पुत्र रामनिवास आयु 22 वर्ष, समस्त जाति प्रजापति, निवासीगण ग्राम चिरपुरा रोड़ गली नंबुर 3 वार्ड नंबर 10 अम्बाह जिला मुरैना, (म०प्र०)

-<u>प्रतिनिगरानीकर्तागण</u>

निगरानीकर्ता की ओर से – श्री जी०एस० गुर्जर अधिवक्ता सभी प्रति निगरानीकर्तागण की ओर से – श्री उदल सिंह गुर्जर अधिवक्ता।

<u>//आदेश//</u>

(आज दिनांक 26.04.2018 को पारित)

- निगरानीकर्ता की ओर से धारा 399 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत यह दांडिक 01. पुनरीक्षण याचिका, न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (श्री अमित कुमार गुप्ता) गोहद जिला भिण्ड म०प्र० के द्वारा अपंजीकृत परिवाद (श्रीमती मंजू वि० मनोज आदि) में पारित आदेश दिनांक 12.05.2017 (अत्र पश्चात आलोच्य आदेश) से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने स्थानीय क्षेत्राधिकारिता नहीं होने के कारण पुनरीक्षणकर्ता / परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद को निरस्त किया गया है। निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत याचिका संक्षेप में इस प्रकार है कि 02. निगरानीकर्ता / परिवादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष परिवाद पत्र धारा 498, 406, 323 / 34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि निगरानीकर्ता की शादी 16 वर्ष पूर्व सन 1999 के अषाढ़ माह में ग्राम बाराहेड में प्रतिनिगरानीकर्ता मनोज के साथ संपन्न हुई थी, तब निगरानीकर्ता की माँ एवं चाचा ने नगदी, जेवर व सामान दहेज में दिया था। तत्पश्चात अन्य दहेज के लिये निगरानीकर्ता को प्रताडित एवं मारपीट किया जाने लगा और उसे घर से निकाल दिया, जिसके संबंध में उसने थाने पर रिपोर्ट की लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किये जाने पर उक्त परिवाद को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.05.2017 को निरस्त कर दिया गया है, जो कि अवैधानिक होकर निरस्तीय योग्य है। अतः निगरानी प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त संबंध में पारित आदेश दिनांकित 12.05.2017 को निरस्त करते हुये परिवाद में धारा 204 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्तगण के विरूद्ध संज्ञान लिया जाकर परिवाद पंजीबद्ध किये जाने बावत आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया है।
- 03. सभी प्रतिनिगरानीकर्तागण की ओर से श्री उदल सिंह गुर्जर अधिवक्ता ने आलोच्य आदेश को विधि सम्मत होना बताते हुये निगरानी याचिका सारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

04. निगरानीकर्ता की ओर से श्री जी०एस० गुर्जर अधिवक्ता एवं प्रतिनिगरानीकर्तागण की ओर से श्री उदल सिंह गुर्जर अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपंजीकृत परिवाद (श्रीमती मंजू वि० मनोज आदि) के मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया।

05. प्रकरण के निराकरण के लिये विचारणीय प्रश्न निम्न है:-

01. क्या योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक मिजस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (श्री अमित कुमार गुप्ता) गोहद जिला भिण्ड के द्वारा अपंजीकृत परिवाद (श्रीमती मंजू वि० मनोज आदि) में दिनांक 12.05.2017 को आलोच्य आदेश पारित किये जाने में विधि एवं तथ्य संबंधी ऐसी गंभीर त्रुटि की है, जो शुद्धता, वैधता, औचित्यता एवं अधिकारिता के आधार पर पुनरीक्षण शक्तियों के अधीन हस्तक्षेप योग्य है ?

।। सकारण निष्कर्ष।।

- 06. निगरानीकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक जोर दिया है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपंजीकृत परिवाद श्रीमती मंजू विरुद्ध मनोज को निरस्त किये जाने के संबंध में पारित आदेश दिनांकित 12.05.2017 पूर्णतः अवैधानिक होकर स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, जबिक उक्त के विपरीत प्रतिनिगरानीकर्तागण की ओर से श्री उदल सिंह गुर्जर अधिवक्ता ने आलोच्य आदेश को विधि सम्मत होना बताते हुये निगरानी याचिका को सारहीन होने से उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।
- 07. उक्त संबंध में उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय के अपंजीकृत परिवाद श्रीमती मंजू विरूद्ध मनोज आदि से संबंधित अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिससे पाया जाता है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य आदेश दिनांक 12.05.17 के द्वारा परिवादी श्रीमती मंजू की ओर से प्रस्तुत अपंजीकृत परिवाद श्रीमती मंजू वि० मनोज आदि के संबंध में न्यायालय को स्थानीय क्षेत्राधिकारिता नहीं होना पाये जाने के कारण गुण—दोषों पर विचार किये बिना ही उक्त

परिवाद पत्र को अप्रचलनीय होने से उसे धारा 203 सहपठित धारा 178 दं०प्र0सं० के अधीन निरस्त किया गया है।

- 08. उक्त संबंध में अभिलेख का परिशीलन किया गया, जिससे यह स्पष्ट है कि स्वयं परिवादी श्रीमती मंजू जा0सा0—1 ने धारा 200 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत लेखबद्ध किये गये अपने कथनों में प्रस्तावित सभी अभियुक्तगण / प्रतिनिगरानीकर्तागण द्वारा उससे दहेज की मांग किये जाने एवं ऐसी मांग को लेकर क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर मारपीट इत्यादि किये जाने संबंधी समस्त घटनाओं को अपनी ससुराल अम्बाह जिला मुरैना में होना बताया है एवं इस न्यायालय के क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत उपरोक्तानुसार घटना कारित किये जाने के संबंध में कुछ भी प्रकटन नहीं किया गया है।
- 09. उक्त संबंध में सम्मानीय न्यायदृष्टांत सुनीता कुमार कश्यप विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार व अन्य एआईआर 2011 एस.सी. 1674 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया है कि "When offence is continuing one having been committed in more local areas of Various Courts, any one of such Courts have jurisdiction to proceed with trial."
- 10. इसी प्रकार सम्मानीय न्यायदृष्टांतों वाई. अब्राहम अजिथ व अन्य विरुद्ध इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस चेन्नई व अन्य 2008 (8) एस.सी.सी.100 एवं भूराराम विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान किमिनल अपील नंबर 5870/2008 निराकृत 2 अप्रैल 2008 में भी यह धारित किया गया है कि "Cause of action having arisen within the Jurisdiction of the court where the offence was committed and could not be tried by the court where no part of offence was committed."
- 11. सम्मानीय न्यायदृष्टांत शकुंतला शर्मा वि० म०प्र० राज्य 2005 (3) एमपीएलजे 338 तथा गुरमीत सिंह विरूद्ध म०प्र० राज्य 2006 (1) एमपीएलजे 250 के अंतर्गत भी यह भली भांति सुस्थापित किया जा चुका है कि जहाँ

परिवादी महिला के साथ कूरतापूर्ण व्यवहार उस न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत नहीं किया गया है, जिसमें परिवादी महिला द्वारा परिवाद दायर किया गया है तो वहां ऐसे न्यायालय में स्थानीय क्षेत्राधिकारिता नहीं होने के कारण प्रश्नगत परिवाद प्रचलन योग्य नहीं है, जो कि सभी वर्तमान प्रकरण की परिस्थितियों में अनुकरणीय होकर अनुपालनीय है।

- 12. अतः प्रतिपादित महत्वपूर्ण न्याय सिद्धांतों सहित उपरोक्तानुसार निष्कर्षित एवं विश्लेषित परिस्थितियों के प्रकाश में यह निष्कर्ष निकलता है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (श्री अमित कुमार गुप्ता) गोहद जिला भिण्ड के द्वारा अपंजीकृत परिवाद (श्रीमती मंजू वि० मनोज आदि) में दिनांक 12.05.2017 को अप्रचलनीयता के संबंध में आलोच्य आदेश पारित किये जाने में विधि एवं तथ्य संबंधी ऐसी कोई गंभीर त्रुटि की नहीं है, जो शुद्धता, वैधता, औचित्यता एवं अधिकारिता के आधार पर पुनरीक्षण शक्तियों के अधीन हस्तक्षेप योग्य है।
- 13. परिणामतः पुनरीक्षणकर्ता / परिवादी की ओर से प्रस्तुत यह दांडिक पुनरीक्षण याचिका सारहीन प्रतीत होने से निरस्त की जाती है।
- 14. आदेश की प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख अविलंब लौटाया जाये।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर पारित किया गया। मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0) (सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

Alan Rafeold